रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 118] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 1970/ आषाढ़ 17, 1892

No. 118] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 1970/ASADHA 17, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 8th July 1970

SUBJECT.—*Terms and conditions governing the issuance of import licences financed under International Development Association Credit No. 182 IN (Industrial Imports).*

No. 97-ITC(PN)/70.—The terms and conditions governing the issuance of import licences financed under the I.D.A. Credit No. 182 IN dated 24th April, 1970 (Sixth Industrial Imports Project) given in Appendix to this Public Notice are notified for the information of Trade.

APPENDIX

Terms and conditions governing the issuance of import licences financed under International Development Association Credit No. 182 IN (Industrial Imports)

I. The import licence is issued with an initial validity period upto 31st March, 1971 only.

II. The goods imported must fall under the approved list of goods as per Annexure I.

III. The goods must be purchased from Switzerland or any of the countries who are members of the World Bank (the present list of member countries is attached at Annexure II) but excluding South Africa and South West Africa. Shipments must be arranged in vessels registered in countries, who are members of I.B.R.D. or on Indian Flag Vessels (with ocean freight payable in Rupees in India on India flag shipments). It is most essential that the goods must be produced in a member country, and not merely transhipped through a member country.

IV. *Ordering.*—(a) Firm orders must be placed on the suppliers within four months from the date of issue of the import licence. If orders cannot be placed within four months for valid reasons, the licence should be submitted to the licensing authority during the 5th month giving the reasons for the delay in placing orders and indicating the date by which orders would be placed and extension in the period for ordering as necessary. Such requests will be considered on merits by the CCI&E, in consultation with the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) where necessary.

(b) A statement of orders in the form attached, *vide* Annexure III, should be sent on the first of each month to the Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, Ministry of Finance, Jeewan Deep Bldg., Parliament Street, New Delhi (Attention: Shri P. C. Jain, Senior Accounts Officer) and to the concerned Industrial Adviser, in the Directorate General of Technical Development, New Delhi. Such reports should include particulars of all eligible licences and imports.

Important Note.—It is necessary that ordering is completed within 4 months or the extended period allowed by the licensing authority in any case. The authorised dealers in foreign exchange will not permit establishment of letters of credits, or remittance for payment to foreign suppliers unless this requirement is complied with.

V. *Payment against I/L by remittance through Banks.*—(1) Payment of the cost of goods acquired should be made, according to procedure described in sub-para VI(6) below. Contracts concluded with foreign suppliers, should specify the mode of payment and also the documentation required *vide* para VI below.

(2) Payment for the cost of goods and services acquired shall be made in the currency of the country from which such goods and services are acquired, that is, in the currency of country of origin of goods and services. To cite an example, if the goods are produced or originate in country A, but are shipped from a different country B or the supplier is located in country B or another country C, the payment has to be made in the currency of country A and not repeat not that of country B or country C.

(3) Payment of ocean freight charges on Indian flag vessels shipments should be made in Rupees in India.

(4) Payment of Indian Agent's commission should be made in Indian Rupees to the agents in India. Such payments, will however, form part of the licence value, and will, therefore, be charged to the licence.

(5) Expenditure incurred in Indian Currency or for goods procured in (including services from) India and also from countries who are not members of World Bank (*vide* Annexure II) is not reimburseable under the I.D.A. Credit Arrangement.

(6) *Detailed procedure for payment.*—Payments against the import licence, may be made by the Importers through Authorised dealers in foreign exchange in India by remittance in the normal manner. The importers shall indicate in their contracts with suppliers that certain documents required by the I.D.A. have to be submitted by the suppliers to the importers. These documents are described in para (VI) below and in Annexure V and should be sent along with a proforma as indicated in Annexure IV. Two sets of documents are required, one for payment purposes and the other for purpose of obtaining reimbursement from I.D.A. The authorised dealers in foreign exchange, while opening letter of credit against such import licence would also call for the documents from the supplier. When

bills drawn under the letters of credit are paid by the drawee and the amount remitted to the principal suppliers abroad, these documents would be separated and pinned together and forwarded by the dealers in foreign exchange direct to the Ministry of Finance, DEA, Economic Aid Accounts Branch, Jeewan Deep Bldg., Parliament Street, New Delhi (Attention: Shri P. C. Jain, Senior Accounts Officer), with the particulars of relative import licence duly noted on each of these documents. In the cases where bills are received by the authorised dealers in foreign exchange on collection basis to cover imports, the proceeds of the bill would not be remitted unless the drawees (imporers) furnish to the authorised dealer in foreign exchange these documents for forwarding to the Ministry of Finance. While opening the letters of Credits through the Indian Banks, these conditions should be stipulated in the letters of Credits by the Bank.

(7) All payments must be completed within one month after expiry of licence, i.e. by 31st May, 1971 (shipments by 30th April, 1971, including one month grace period). Individual payments must be arranged upon shipment of goods, except in case of credit facilities, which will be permitted subject to the following conditions:—

(a) The credit facility should not extend beyond 90 days from the date of shipments;

(b) No interest charges are payable by the importers for the credit extended, directly or indirectly; and

(c) All payments are completed by the terminal date, specified above.

VI. *Documentation.*—After payments, the importers must arrange to furnish immediately the various prescribed documents (Annexure V in complete shape) to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, New Delhi to enable them to claim reimbursement from I.D.A. As payments will usually be made through the importer's Bank in India, arrangement should be made with the Bankers to send the documents direct to the Ministry of Finance promptly with the proforma indicated in Annexure IV. This will expedite the drawals by the Government of India. This arrangement will, however, not absolve the importers from the responsibility of submission of proper documents. The Ministry of Finance will approach the importers for relevant documents if and when necessary.

NOTE.—It should be noted very carefully that the documents for re-imbursements are to be forwarded by the Indian Banks immediately after payments, and under no circumstances, should any delay occur in transmitting these documents. The I.D.A. regulations require that applications for withdrawal should be made promptly. Therefore I.D.A. can decline re-imbursements if claims for amounts are delayed. Hence it is very essential that the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, invariably receive the documents soon after payments.

VII. *Maintenance of Books and Records.*—The importers shall maintain books and records adequate to identify the goods acquired out of the proceeds of the credit to disclose the use thereof in the project and to record the progress of the project. Such records and books shall be maintained for a period of five years after the date of acquisition of the goods. Importer shall enable the authorised representatives of I.D.A. to inspect the relevant records and documents related to the Project, the goods acquired out of the proceeds of the credit and shall afford all reasonable opportunity and assistance to them for such examination where they propose to carry out such inspections.

VIII. *End-use of goods.*—All goods imported against the licence will be used exclusively for the purpose of production for the domestic civilian market and for export.

IX. *Quarterly Reports on estimated payment.*—I.D.A./requires quarterly reports indicating the rate at which withdrawals are expected to be made throughout the disbursement period of the credit. A statement in form in Annexure VI should, therefore, be sent by importers at the end of each quarter i.e. quarter ending June, 1970, September, 1970, December, 1970, March, 1971 & June, 1971 by the 10th of the month following the reporting period.

X. *Notifying supplier.*—The importer should apprise the supplier of any special provision in the import licences which affect the suppliers in carrying out the transactions.

XI. *Disputes*—It should be understood that Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the importers and suppliers.

XII. *Future Instructions*—The importers shall promptly comply with any directions, instructions, or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licences and for meeting all obligations under the agreement.

XIII *Breach or violation*—Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act).

XIV *List of Annexures by Title*:

Annexure I—List of goods
Annexure II—List of World Bank Member countries
Annexure III—Monthly report on ordering
Annexure IV—Proforma for sending documents
Annexure V—Documents required after payment
Annexure VI—Quarterly statement of estimated payments.

ANNEXURE I

List of Goods

Raw and Semi-finished materials, components and spare parts for the manufacture of:

(a) Commercial vehicles
(b) Automotive Ancillaries
(c) Agricultural tractors.
(d) Machine Tools, cutting tools and small tools and abrasives
(e) Electric Motors
(f) Fertilizer and pesticides

ANNEXURE II

Referred to in paras III and V (E)

List of World Bank Members

Afghanistan
Algeria.
Argentina.
Australia
Austria
Belgium.
Bolivia
Brazil.
Burma.
Burundi
Cameroon
Canada.
Central African Republic
Ceylon.
Chad
Chile.
China
Colombia.
Congo (Brazavilla)
Congo, Democratic Republic
Coota Rica
Cyprus
Dahomey
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Ethiopia
Finland.
France
Gabon
Germany, Federal Republic
Ghana
Greece
Guatemala
Guinea.
Haiti.
Honduras

Iceland.
India.
Iran.
Iraq.
Ireland.
Israel.
Italy.
Ivory Coast.
Jamaica.
Japan.
Jordan.
Kenya.
Korea.
Kuwait.
Laos.
Lebanon.
Liberia.
Libya.
Luxembourg.
Malagasy Republic.
Malawi.
Malaysia.
Mali.
Mauritania.
Mexico.
Morocco.
Nepal.
Netherlands.
Newzealand.
Nicaragua.
Niger.
Nigeria.
Norway.
Pakistan.
Panama.
Paraguay.
Peru.
Philippines.
Portugal.
Rwanda.
Saudi Arabia.
Senegal.
Sierra Leons.
Singapore.
Somaliya.
South Africa.
Spain.
Sudan.
Sweden.
Syrian Arab Republic.
Tanzania.
Thailand.
Togo.
Trinidad and Tobago.
Tunisia.
Turkey.
Uganda.
United Arab Republic.
United Kingdom.
United States.
Upper Volta.
Uruguay.
Venezuala.
Vietnam.
Yugoslavia.
Zambia.

ANNEXURE III

Proforma Report—One for each import licence under IDA Credit No.

Report as on 1st of each month

1. Import Licence, No. date and value.
2. Ordering Position.
 (a) Total value of orders placed so far (in Rs.)
 (b) Balance value of orders yet to be placed (in Rs.)
 (c) Phasing of balance orders:—Indicate when these would be completed.
3. Payment position.
 (a) Total value of payments made so far (in Rs.). (Please confirm after checking with Bank that documents therefor have been submitted to this Department by them in all cases).
 (b) Balance value of payments yet to be made (in Rs.)
 (c) Phasing of balance payments.
 (i) during April—June 1970.
 (ii) during July—September 1970.

(iii) during October—December 1970

(iv) during January 1971—March 1971.

(v) during April—June 1971

(Please confirm that payments will be completed by 31st May, 1971)

4. Remarks, if any, particularly regarding any special difficulty experienced in complete utilisation of licence i e, payment by 31st May, 1971

Sd/- Authorised Representative on behalf of importer.

ANNEXURE IV

[Referred to in para V, V(6) and VI]

Proforma for sending documents under the Non-Project I.D.A. Credit

S. No.	Applicable Category of goods.	Currency in which payment is made.	Date of payment by importer.	Date of contract.

ANNEXURE V

(Referred to in para V & VI)

Documents required in connection with each application for reimbursement, under IDA Credit.

(a) Supplier's invoice, describing the goods or services (original or legible copy).

(b) Evidence of payment, in the form of

1 Receipted invoice or formal receipt of the foreign supplier, or

2 Cancelled bank cheque or draft or photostatic copy thereof; or

3 Commercial Bank's report of Payment IDA form 1-1 (copy attached) may be used when payment has been made under a commercial letter of credit, or

4 Other evidence satisfactory to the IDA

(c) Evidence of shipment, in the form of·

1. A copy of ocean or airway bill of lading (this need not be a signed copy) or

2. A statement of the supplier or forwarder that the goods have been shipped This statement should include the approximate date of shipment, the method of transportation (*i e.*, air, rail or sea) and the destination of the ship/aircraft, the name and flag of the vessel or aircraft (if known) and amount of ocean/air freight should be given

NOTE 1.—If shipment has not been made at the time of the application is submitted or if the application relates to a down or progress payment on a contract, evidence of shipment should be furnished to the IDA as soon as possible after shipment. This evidence of shipment should be accompanied by a copy of the supplier's final invoice in cases where the application relates to a down or progress payment.

NOTE 2.—When commercial letters of credit are used, no evidence of shipment is required if the Bank's Report of payment indicates that documents evidencing shipment were produced to the commercial bank at the time payment was made; otherwise evidence of shipment as described in (c)(1) or (2) above would be required.

NOTE 3.—Please note carefully that items (1) to (3) under (b) and (1) to (2) under (c) above are the various alternatives and what is needed is any one of these and not all.

(d) If the withdrawal, is to reimburse the Borrower for a down or progress payment, a copy of the contract or purchase order is required. It is of course only necessary to submit this document once. If payment has been made on a contract on the basis of work performed, in addition to a copy of the contract, the Borrower should furnish an engineer's certificate or progress report showing that the payment was due.

(e) Information regarding applicable category of the list of goods as approved by the IDA *vide* Annexure I.

NOTE 4.—Requirement at (c) above means that the importer himself or his bank should, while forwarding the documents to the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), indicate the applicable category of the approved list of goods under which the import has been made. This list of goods is indicated in annexure, I and the licence itself would indicate the applicable category in each case. If not, the description of the goods improved would enable the item being classified under one of the approved category of goods. In any case, it is for the importer to furnish this information and he or his bank must not require the supplier to indicate such information in his documents to be submitted to the negotiating bank under the Letter of Credit. The importers should therefore, note carefully that no such requirement should be included in their orders or the Letters of Credit.

I.D.A. Form I-I

Bank's Report of payment Serial No.———————————

(Name of Commercial Bank)

Date of payment———————————

Licence No. ———————————

To

———————————

(Name of Borrower or Borrower's Representative)

———————————

———————————

(Address)

We report having paid the sum of———————————

to———————————under licence No. ———————————

(Name of supplier)

established by———————————

(Name and address of buyer)

Our payment commission amounts to———————————

Payment was effected against delivery of the documents as specified in/and in accordance with the terms and conditions of the Letter of Credit mentioned above evidencing shipment of ———————————

(General description of the merchandise including the ———————————

———————————Per S. S. ———————————or R. R.———————————

quantity etc.)

from———————————to ———————————

(Point of shipment) (Destination)

or storage or manufacture of the goods described at———————————

———————————

The documents have been disposed of as follows:—

Ocean documents have been forwarded to our above mentioned correspondent Bank.

The railroad bill of lading, warehouse receipt of certificate of manufacture have been——

(Description made)

(Copy of suppliers invoice is attached)

Very truly yours,

ANNEXURE VI

Referred to in para VI of licensing conditions

Date——

International Development Association Quarterly Report of Estimated Payments
(Expressed in thousands of U.S. $)

Currency of payment	Supplying country	Calendar quarters ending				
		June 1970	September 1970	December 1970	March 1970	June 1970
Undetermined currencies.						
Total:						

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1970

विषय :—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ क्रेडिट सं० 182 आई एन (औद्योगिक लाइसेंस) के अन्तर्गत अर्थयुक्त आयात लाइसेंसों को जारी करने सम्बन्धी नियम तथा शर्तें।

सं० 97–आई टी सी/(पी एन)/70:—प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ क्रेडिट सं० 182 आई एन, दिनांक 24–4–70 (छठा औद्योगिक आयात परियोजना) के अन्तर्गत अर्थयुक्त आयात लाइसेंसों को जारी करने सम्बन्धी नियम तथा शर्तें व्यापार की जानकारी के लिए अधिसूचित कर दी जाती हैं।

परिशिष्ट

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के क्रेडिट संख्या 182 आई एन (औद्योगिक लाइसेंस) के अन्तर्गत अथयुक्त आयात लाइसेंसों को जारी करने सम्बन्धी नियम तथा शर्त

(1) आयात लाइसेंस केवल 31-3-71 तक की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए जारी किया जाता है।

(2) आयातित माल अनुबन्ध में दिखाये गये मालों की स्वीकृत सूची के अन्तर्गत अवश्य आने चाहिए।

(3) मालों की खरीद स्विटजरलैण्ड से या उन देशों से जो विश्व बैंक (वर्तमान सदस्य देशों की सूची अनुबंध-2 में संलग्न है) के सदस्य हैं, उनसे अवश्य की जानी चाहिए, किन्तु दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका इस में शामिल नहीं हैं। जहाज लदान की व्यवस्था उन पंजीकृत देशों के जलयान में जो आई० बी० आर० डी० के सदस्य हैं या भारतीय ध्वज जलयान (भारतीय ध्वज जलयान पर भारत में रुपये में समुद्री भाड़ा भुगतान के साथ) में जरूर की जानी चाहिए। यह अत्यावश्यक है कि माल सदस्य देश में उत्पादित होना चाहिए और न कि केवल सदस्य देश से यानान्तरण द्वारा।

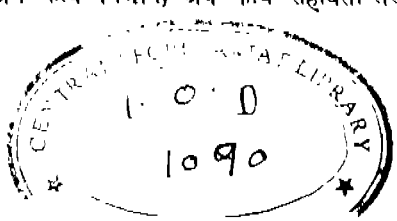
(4) **आदेश देना :**

(क) आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से चार महीने के भीतर संभरकों को फर्म आर्डर दे दिए जाने चाहिए। यदि वैध कारणों के लिए चार महीने के भीतर आर्डर नहीं दिए जा सकते, तो आर्डर देने में हुए विलम्ब का कारण बताते हुए तथा यह संकेत करते हुए कि आर्डर कब दिया जाएगा और जैसी, आवश्यकता हो, आर्डर देने की अवधि में वृद्धि करनी हो तो इसका संकेत करते हुए पांचवें महीने के दौरान लाइसेंस को लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी के पास जमा कर देना चाहिए। ऐसे अनुरोधों पर जब आवश्यक होगा, वित्त मंत्रालय (अर्थ कार्य विभाग) के साथ परामर्श कर, पात्रता प्रदान करने के आधार पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा विचार किया जाएगा।

(ख) पृष्ठ संख्या दो के अनुसार

मुख्य सूचना—1. यह आवश्यक है कि किसी भी हालत में, आडर चार महीने के या लाइसेंस अधिकारी द्वारा स्वीकृत बढ़ाई गई अवधि के भीतर पूरा किया जाना है। विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी साख-पत्र की स्थापना को या विदेशी संभरकों का भुगतान करने के लिए जमा करने की अनुमति तब तक नहीं देंगे जब तक इस शर्त का अनुपालन न कर लिया गया हो।

(ग) फार्म में संलग्न आदेश का एक विवरण, देखिए अनुबन्ध-3, हर महीने की पहली को अर्थ कार्य विभाग, अर्थ कार्य सहायता लेखा शाखा, वित्त मंत्रालय, जीवन



दीप भवन, पार्लियामेण्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली (श्री पी० सी० जैन, वरिष्ठ लेखा-अधिकारी ध्यान दें) को और महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली में, संबद्ध औद्योगिक परामर्शदाता को भेज दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की रिपोर्टों में सभी उपयुक्त ला सकों और आयातों का विवरण शामिल होना चाहिए।

(5) **बैंक जमा द्वारा आई/एल के लिए भुगतान :**

(1) प्राप्त हुए माल की कीमत का भुगतान नीचे लिखे उप-पारा-(6) में वर्णित कार्यविधि के अनुसार किया जाना चाहिए। विदेशी संभरकों के साथ जो संविदा सम्पन्न किया गया उसके भुगतान के तरीके का विवरण देना चाहिए और साथ ही प्रलेखन की भी जरूरत होती है देखिए नीचे का पारा—6 ।

(2) प्राप्त हुए मालों और सेवाओं की कीमत का भुगतान इस प्रकार के प्राप्त किये गये माल और सेवाओं से संबद्ध देशों की मुद्रा में किया जाएगा, यह माल और सेवाओं के उद्गम देशों की मुद्रा में है। उदाहरणार्थ, यदि माल देश 'ए' में बनाया जाता है या उत्पन्न किया जाता है, किन्तु उसका जहाज लदान एक भिन्न देश से किया जाता है या संभरक देश 'बी' या दूसरे देश 'सी' में पाया जाता है, तो भुगतान देश 'ए' की मुद्रा में किया जाना है और पुनरावृत्ति नहीं की जानी है और न देश 'बी' या देश 'सी' से किया जाना है।

(3) भारतीय ध्वज जलयान जहाज लदानों पर समुद्री भाड़ा खर्च का भुगतान भारतीय रुपये में किया जाना है।

(4) भारतीय एजेन्ट के कमीशन का भुगतान भारत में रहने वाले एजन्टों को भारतीय रुपयों में किया जाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार का भुगतान लाइसेंस मूल्य का एक अंश होगा और इसलिए खर्च लाइसेंसधारी से वसूल किया जाएगा।

(5) भारतीय मुद्रा में या भारत में या उन देशों से भी जो विश्व बैंक के सदस्य (देखिए संलग्न अनुबन्ध—2) नहीं हैं, प्राप्त किये गये (सेवाओं से सम्मिलित) माल के लिए हुआ खर्च आई ए डी क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत अदायगी करने योग्य नहीं है।

(6) **भुगतान सम्बन्धी विस्तृत कार्य विधि** :—लाइसेंस के लिए भुगतान सामान्य तरीके से जमा द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा देने वाले प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से आयातकों द्वारा किया जाए। आयातक संभरकों के साथ अपनी संविदाओं में यह संकेत करेंगे कि आई ए डी द्वारा वांछित खास प्रलेख संभरकों की ओर से आयातकों को देना है। ये प्रलेख नीचे के पारा (6) में और अनुबन्ध—5 में वर्णित हैं और अनुबन्ध—4 में बताये गये प्रपत्र के साथ भेजा जाना चाहिए। प्रलेख के दो सेट वांछित हैं, पहला भुगतान कार्य के लिए और दूसरा आई ए डी से अदायगी प्राप्त करने के लिए। जब इस प्रकार के लिए विदेशी मुद्रा देने वाले प्राधिकृत व्यापारी साख-पत्र खोलेंगे, तो वे भी संभरकों से इस प्रकार के प्रलेखों की मांग करेंगे। जब साख-पत्र के अन्तर्गत बिलों का आहरण किया जाता है, तो ये आदेशिनी के द्वारा चुकाए जाते हैं और विदेश स्थित प्रधान संभरकों को धन-राशि दी जाती है तब ये प्रलेख अलग किए जायेंगे और साथ नत्थी कर

दिये जायेंगे और इन प्रत्येक प्रलेख पर विधिवत् नोट किया हुआ सम्बन्धित आवश्यक लाइसेंस के विवरण के साथ विदेशी मुद्रा देने वाले व्यापारियों द्वारा सीधे वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, आर्थिक सहयोग लेखा शाखा, जीवन दीप भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली (श्री पी० सी० जैन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी ध्यान दें), को भेज दिया जाता है। उन मामलों में, जब विदेशी मुद्रा देने वाले प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा आयात को पूरा करने के लिए वसूली के आधार पर बिल प्राप्त किये जाते हैं, बिल की प्राप्ति की तब तक जमा नहीं दी जायेगी जब तक आदेशिती (आयातक) इन प्रलेखों को वित्त मंत्रालय को अग्रेषित करने के लिए विदेशी मुद्रा देने वाले प्राधिकृत व्यापारियों को नहीं भेज देते हैं। जब भारतीय बैंकों के माध्यम से साख-पत्र खोले जा रहे हों, इन शर्तों को बैंक द्वारा साख-पत्र में अनुबन्धित किया जाना चाहिए।

(7) सभी प्रकार के भगतान लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के एक महीने के भीतर जैसे 31-5-71 (जहाज लदान 30-4-1971 तक, इसमें एक महीने की रियायती अवधि शामिल है) तक अवश्य पूरे कर लिए जाने चाहिए। साख सुविधाओं के मामले के अतिरिक्त जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होंगी, व्यक्तिगत भुगतानों की व्यवस्था मालों के जहाज लदान पर जरूर कर ली जानी चाहिए :—

(क) साख सुविधा जहाज लदान की तारीख से 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ख) प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, बढ़ाये गये साख के लिए आयातकों द्वारा किसी प्रकार का ब्याज प्रभार देय नहीं है; और

(ग) उपर्युक्त विशिष्टिकृत सभी भुगतान आवधिक तारीख द्वारा पूरे किये जाने हैं।

(6) **प्रलेखन** :—भुगतान के बाद, आयातकों को चाहिए कि वे विभिन्न प्रकार के निर्धारित प्रलेखों (जो अनुबन्ध-5 में हैं) को पूरे रूप में, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, आर्थिक सहयोग लेखा शाखा, नई दिल्ली को आई० डी० ए० से अदायगी दावा के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए शीघ्र भेजने की व्यवस्था अवश्य करें। चूंकि भुगतान सामान्यतया भारत में आयातक बैंक के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए अनुबन्ध-4 में बताये गये प्रपत्र के साथ प्रलेखों को वित्त मंत्रालय को शीघ्र भेजने की व्यवस्था बैंकरों के साथ की जानी चाहिए। यह भारत सरकार द्वारा आहरण को शीघ्रता से निपटायेगा। किन्तु, इस व्यवस्था से आयातक उपयुक्त प्रलेखों को जमा करने के उत्तर-दायित्व से मुक्त नहीं होंगे। जब जैसी जरूरत होगी, वित्त मंत्रालय सम्बन्धित प्रलेखों के लिए आयातकों से सम्पर्क करेगा। यह खूब अच्छी तरह नोट कर लेना चाहिए कि भुगतान के बाद, अदायगी के लिए प्रलेखों को भारतीय बैंकों द्वारा **शीघ्र** अग्रेषित किया जाना है और किसी भी परिस्थिति में इन प्रलेखों को अग्रेषित करने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। आई डी एम विनियमों की मांग है कि निकासी के लिए आवेदन पत्र तुरन्त दिया जाना चाहिए। अतः यदि धन-राशि की मांग करने में विलम्ब हुआ तो आई डी ए अदायगी करना अस्वीकार कर सकती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, आर्थिक सहयोग लेखा शाखा, भुगतान के बाद, निरन्तर शीघ्र प्रलेखों को प्राप्त करे।

(7) **पुस्तकों और अभिलेखों का अनरक्षण**:—परियोजना मे उपयोग किये जाने वाले मालों को बताने के लिए और परियोजना की प्रगति को रिकार्ड करने के लिए क्रेडिट की प्राप्ति से अर्जित मालों की यथेष्ट पहचान के लिए आयातक पुस्तकों और अभिलेखों का अनुरक्षण करेंगे । इस प्रकार के अभिलेखो और पुस्तकों का माल प्राप्त करने की तिथि के बाद पाच वर्षों की अवधि तक अनुरक्षण किया जायेगा । आई डी ए के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सम्बद्ध अभिलेखों और परियोजना क्रेडिट की प्राप्ति से अर्जित माल मे सम्बद्ध प्रलेखों की जाच करने मै सामर्थ्य बनायेगे तथा जहां वे इस प्रकार की जांच का काम करना चाहेगे, वे उन्हें सभी प्रकार का उपयुक्त अवसर और सहयोग प्रदान करेंगे ।

(8) **माल के उपयोग का उद्देश्य** :—लाइसेस के द्वारा जो भी माल आयात किया जायेगा, उनका पूर्णरूपेण उपयोग सामान्य जनता और निर्यात के लिए किया जायेगा ।

(9) **अनुमानित भुगतान सम्बन्धी आवधिक रिपोर्ट** :—आई डी ए को उस आवधिक रिपोर्ट की जरूरत होती है जिसमे अंकित दर के आधार पर क्रेडिट की अदायगी अवधि के माध्यम से निकासी करने की उम्मीद की जाती है । इसलिए, अनुबन्ध–6 में फार्म के रूप मे दिये गये विवरण को प्रत्येक आवधिक के अन्त मे जैसे जून, 1970, सितम्बर, 1970, दिसम्बर, 1970, मार्च, 1970, और जून, 1971 के लिए महीने की 10 तारीख तक रिपोर्ट देने की अवधि का पालन करते हुए आयातकों द्वारा भेज दिया जाना चाहिए ।

(10) **अधिसूचित किये जाने वाले सम्भरक**:—किसी लाइसेस मे यदि कोई विशेष व्यवस्था हो जिससे सभरकों को कार्य सम्पादन पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता हो, तो आयातक को चाहिए कि वह उसे इससे अवगत करा दें ।

(11) **विवाद** :—यह जान लेना चाहिए कि यदि आयातकों और संभरको के बीच किसी प्रकार का झगड़ा हो जाये तो भारत सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी नही लेगी ।

(12) **भविष्य के लिए अनुदेश** :—किसी एक या सभी मामलों के सम्बन्ध में या आयात लाइसेंस से सम्बद्ध और करार के अन्तर्गत आने वाली सभी दायित्वों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का परिपालन आयातक तुरन्त करेंगे ।

(13) **तोड़ना अथवा उल्लंघन** :—उपर्युक्त धाराओं के अन्तर्गत दी गई शर्तों को तोड़ने अथवा उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप आयात तथा निर्यात (नियंत्रक अधिनियम) के अधीन उचित कार्यवाही की जायेगी ।

(14) **शीर्षक अनुसार अनुबन्ध की सूची** :—

अनुबन्ध—1	माल की सूची ।
अनुबन्ध—2	विश्व बैंक के प्रतिनिधि देशों की सूची ।
अनुबन्ध—3	आदेश के आधार पर मासिक रिपोर्ट ।
अनुबन्ध—4	दस्तावेजों को भेजने का प्रपत्र ।
अनुबन्ध—5	भुगतान के पश्चात् आवश्यक दस्तावेज ।
अनुबन्ध—6	अनुमानित भुगतान का त्रैमासिक विवरण ।

अनुबन्ध 1

माल की सूची

निम्नलिखित के निर्माण के लिए कच्चा तथा अर्द्ध तैयार माल, घटक तथा फालतू पुर्जे ।

(क) व्यापारिक वाहन ।
(ख) ओटोमोटिव अनुषंगिक ।
(ग) कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर ।
(घ) मशीन औजार, काटने वाले औजार और छोटे औजार तथा अवधर्षक ।
(ङ) बिजली के मोटर ।
(च) रसायनिक और कीटनाशक ।

अनुबन्ध 2

पारा–3 और 5(5) के संदर्भ में विश्व बैंक के सदस्यों की सूची

अफ़गानिस्तान
अल्जीरिया
अर्जेनटाइना
आस्ट्रेलिया
आस्ट्रिया
बेलजियम
बोलविया
ब्राजील
वर्मा
बरुन्दी
कैमरून
कनाडा
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक
श्रीलंका
चाद
चीली
चीन
कोलम्बिया
कांगो (ब्राजविला)
प्रजातंत्र गणराज्य कांगो
कोस्टा रिका
साईप्रस
दहोमी
डेनमार्क
डमोनियन रिपब्लिक
इक्वाडोर
एल सल्वाडोर
इथोपिया
फिनलण्ड
फ्रांस
गबन
घाना का संघीय गणराज्य, जर्मनी
यूनान
गोतेमाला
गायना
हैती
हान्डुरस
आइसलैण्ड
भारत
ईरान
ईराक
इटली
आईवरी कास्ट
जमाइका
जापान
जार्डन
कीनिया
कोरिया
कुवाइत
लाओस
लेबनान
लाइबेरिया

लीबिया	सीरिया लियने
लक्जमबर्ग	सिंगापुर
मालागासी गणतन्त्र	सोमालिया
मालावी	दक्षिण अफ्रीका
मलयेशिया	स्पेन
माली	सूडान
मारिशस	स्वीडन
मेक्केसको	सीरियन अरब गणराज्य
मोरक्को	तन्जानिया
नेपाल	थाईलैंड
नीदरलैंड	टोगो
न्यूजीलैंड	त्रिनीगाड और टोबागो
निकारागुआ	तूनिसिया
नाइजरिया	तुर्की
नाइजेरिया	उगान्डा
नार्वे	सयुक्त अरब गणराज्य
पाकिस्तान	यूनाइटेड किंग्डम
पनामा	सयुक्त राज्य
पराग्वे]	अपर वोल्टा
पेरू	उरुग्वे
फिलीपीन्स	वेनेजवेला
पुर्तगाल	वियतनाम
रवान्दा	यूगोस्लाविया
सऊदी अरब	जम्बिया
सेनेगल]	

अनुबन्ध 3

पारी 4 (बी) के संदर्भ में

प्रपत्र रिपोर्ट—आई डी ए क्रेडिट सख्या के अन्तर्गत प्रत्येक लाइसेंस के लिए एक एक

प्रत्येक मास की पहली तारीख जैसी रिपोर्ट है

1 आयात लाइसेंस की सख्या, दिनाक तथा मूल्य ।

2. आदेश देने की स्थिति :

(क) कुल मूल्य (रुपयो मे) जिसके आदेश अभी तक दिए है :

(ख) शेष मूल्य (रुपयो मे) जिसके आदेश अभी देने है :

(ग) शेष आदेश की स्थिति :—यह सकेत करे कि ये कब पूरे किए जाएगे :

3. भुगतान की स्थिति :—

(क) अब तक किए गए भुगतान का कुल मूल्य (रुपये मे) कृपया बैंक द्वारा जांच कर लेने के बाद इस बात की पुष्टि कर लें कि सभी मामलों में उनके द्वारा इस सम्बन्ध में इस विभाग को प्रलेख जमा कर दिए गए है :

(ख) अभी तक भुगतान किए जाने का शेष मूल्य (रुपयों में) :

(ग) शेष भुगतान की स्थिति :

(1) अप्रैल-जून, 1970 के दौरान :

(2) जुलाई-सितम्बर, 1970 के दौरान :

(3) अक्तूबर–दिसम्बर, 1970 के दौरान

(4) जनवरी-मार्च, 1971 के दौरान :

(5) अप्रैल-जून, 1971 के दौरान :

(कृपया इस बात की पुष्टि कर लें कि 31–5–71 तक भुगतान समाप्त हो जाएगे)

4. यदि कोई टिप्पणी, विशेष रूप से लाइसेंस का पूर्ण उपयोग करने में जैसे 31–5–1971 तक भुगतान करने आदि के सम्बन्ध में कोई विशेष कठिनाई अनुभव हुई हो तो दें।

हस्ताक्षरित

आयातक की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि

अनुबन्ध 4

(पारा 5, 5(6) तथा 6 के संदर्भ मे)

गैर-परियोजना आई डी ए क्रेडिट के अंतर्गत प्रवेश भेजने के लिए प्रपत्र

क्रम संख्या	माल की उपयुक्त श्रेणी	मुद्रा जिसमें भुगतान किया जाता है	आयातक द्वारा भुगतान की तिथि	संविदा की तिथि

अनुबन्ध 5

(पारा 5 तथा 6 के संदर्भ में)

आई डी ए क्रेडिट के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रलेख

(क) माल अथवा सेवाओं का विवरण देने वाला संभरक का बीजक (मूल अथवा सुपाठ्य प्रति)।

(ख) निम्नलिखित में भुगतान का प्रमाण :

(1) प्राप्त किया हुआ बीजक अथवा विदेशी संभरक की औपचारिक आवती; अथवा

(2) रद्द किया हुआ बैंक चैक अथवा ड्राफ्ट अथवा उसकी फोटोस्टैट प्रति ; अथवा

(3) व्यापारिक क्रेडिट पत्र के अन्तर्गत जब भुगतान कर दिया गया है तो आई० डी० ए० की व्यापारिक बैंक रिपोर्ट 1— (प्रति संलग्न) का प्रयोग किया जा सकता है, अथवा

(4) आई डी ए के लिए संतोषजनक अन्य प्रमाण।

(ग) निम्नलिखित रूप में पोत लदान का प्रमाण :—

(1) समुद्र अथवा हवाई मार्ग के लदान-पत्र की एक प्रति (यह प्रति हस्ताक्षरित हो, आवश्यक नहीं) अथवा

(2) संभरक अथवा भेजने वाले द्वारा एक विवरण, कि माल का जहाज लदान हो चुका है । इस विवरण में जहाज लदान की सन्निकट तिथि, स्थानांतरण करने की विधि (जैसे वायु मार्ग, रेल अथवा समुद्र से) और जहाज/वायुयान पहुंचने का स्थान, जलयान अथवा वायुयान का नाम तथा ध्वज (यदि ज्ञात हो) भी शामिल होना चाहिए और समुद्र/वायुमार्ग भाड़े की राशि दी जानी चाहिए ।

टिप्पणी 1—यदि आवेदन प्रस्तुत करने के समय पोतलदान नहीं किया गया है अथवा यदि संविदा विषयक आवेदन-पत्र उसी समय अथवा क्रमिक भगतान से संबंध रखता है, तो पोतलदान के पश्चात् पोतलदान का साक्ष्य आई डी ए को यथा शीघ्र भेज दिया जाना चाहिए । उन मामलों में, जिनमें आवेदनपत्र उसी सयम अथवा क्रमिक भुगतान से संबंधित है, उल्लिखित पोतलदान का साक्ष्य संभरक के अन्तिम बीजक की एक प्रति के साथ भेजनी चाहिए ।

टिप्पणी 2—व्यापारिक क्रेडिट पत्र का प्रयोग करते समय यदि भुगतान की बैंक परिपोर्ट यह संकेत करे कि भुगतान करते सयम पोत लदान को साक्षांकित करने वाले प्रलेख व्यापारिक बैंक को प्रस्तुत किए गए थे, तो पोतलदान के साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा ग (1) अथवा (2) में जैसा ऊपर उल्लिखित है, पोतलदान का साक्ष्य भेजने की आवश्यकता होगी ।

टिप्पणी 3—कृपया इसका खास ध्यान रखें कि ऊपर में (ख) के अन्तर्गत (1) से (3) और (ग) के अन्तर्गत (1) से (2) मद में विभिन्न विकल्प दिए गए हैं, किन्तु इन में से किसी एक की आवश्यकता होगी, सभी की नहीं ।

(घ) यदि निकाली गई राशि उसी सयम या क्रमिक भुगतान के लिए हो, उधार लेने वाले को अदायगी की जानी है तो संविदा अथवा क्रय आदेश की एक प्रति अपेक्षित है । वास्तव में, इस प्रलेख को केवल एक ही बार भेजना आवश्यक है । किए गए काम के आधार पर यदि संविदा विषयक भुगतान कर दिया गया है, तो संविदा की एक प्रति के अतिरिक्त, उधार लेने वाले को इंजीनियर का प्रमाण पत्र तथा प्रागामी रिपोर्ट जिस में यह संकेत हो कि भुगतान देय थी, भेजनी चाहिए।

(च) माल की सूची की उपर्युक्त श्रेणी की जानकारी के लिए, जैसा कि आई डी ए द्वारा अनुमोदित है—अनुबन्ध 1 देखिए ।

टिप्पणी 4—उपर्युक्त (ङ) में मांग की गई चीजों का अर्थ यह है कि आयातक को खुद अथवा उसके बैंक को चाहिए कि वित्त मंत्रालय (अर्थ कार्य विभाग) को दस्तावेज भेजते समय माल की स्वीकृत सूची की उपयुक्त श्रेणी, जिसके अंतर्गत आयात किया गया है, संकेत करे । प्रस्तुत माल की सूची को अनुबन्ध-1 में निर्दिष्ट किया गया है और लाइसेंस स्वत: प्रत्येक मामले में उपयुक्त श्रेणी का संकेत करेगा । यदि ऐसा नहीं हो तो माल की अनुमोदित श्रेणी में से किसी एक के अन्तर्गत वर्गीकृत की

जाने वाली मद के लिए आयातित माल के विवरण से सहायता ली जाएगी । किसी मामले में, यह जानकारी आयातक को देनी पड़ेगी और क्रेडिट पत्र के अन्तर्गत वार्ता बैंक को भेजे जाने वाले अपने दस्तावेज में उसे अथवा उसके बैंक को संभरक को इस प्रकार की जानकारी का संकेत करना जरूरी नहीं है । इसलिए आयातकों को चाहिए कि इस बात का खास ध्यान रखें कि इस प्रकार की मांगें उनके आदेशों में अथवा क्रेडिट-पत्र में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए ।

आई० डी० ए० फार्म-1-1

बैंक भुगतान की बैंक रिपोर्ट क्रम संख्या

(व्यापारिक बैंक का नाम)

भुगतान की तिथि

लाइसेंस सं०

सेवा में,

(उधार लेने वाले अथवा उधार लेने वाले के प्रतिनिधि का नाम)

(पता)

हम की राशि

(संभरक का नाम)

को लाइसेंस के अन्तर्गत

(क्रेता का नाम तथा पता)

के द्वारा संस्थापित को जमा करने की रिपोर्ट देते हैं। हमारे भुगतान कमीशन की धन-राशि
..... होती है ।

विनिर्दिष्टकृत प्रलेखों का माल छुड़ाने से भुगतान पर और
..... के जहाज लदान को सांकेयांकित करने वाला उपर्युक्त क्रेडिट पत्र के नियमों और शर्तों के अनुसार जो प्रभाव पड़ा था ।

व्यापार किए गए माल का सामान्य विवरण जिसमें दि
(मात्रा आदि)
..... प्रति एस० एस० या आर० आर०
से को या
(पोतलदान जहां से हुआ (स्थान)
में वर्णित माल का संग्रहण या विनिर्माण ।

प्रलेखों का निपटान निम्नलिखितरूप से किया गया है :

हमारे ऊपर उल्लिखित संबद्ध बैंक को समुद्री प्रलेख अग्रेषित कर दिए गए हैं ।

..... बना माल भेजा गया है ।

(माल भेजने का विवरण)

प्रमाण पत्र की माल गोदाम आवती
.....

(संभरक के बीजक की प्रति संलग्न है)

आपका विश्वासी

अनुबन्ध–6

(लाइसेंस शर्तों के पारा 6 में उल्लिखित)

दिनांक.....

अनुमानित भुगतान की अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वै-मासिक रिपोर्ट (यू० एस० डालर के हजारों में)

भुगतान की मुद्रा	संभरण देश	द्वै-मासिक खतम होने की तिथि				
		जन 1970	सितम्बर, 1970	दिसम्बर, 1970	मार्च, 1971	जून, 1971
अनिर्धारित मुद्रा						
कुल						

SUBJECT.—*Scheme of supply of rough diamonds imported from German Democratic Republic by NMDC Limited.*

No. 98-ITC(PN)/70.—To meet the increased demand for rough diamonds required for export trade in cut or polished diamonds, it has been decided to import roughs from the German Democratic Republic in terms of the trade agreement between the German Democratic Republic (GDR) and India.

2. The National Mineral Development Corporation Ltd. (NMDC) has been nominated as the agency to handle imports of rough diamonds from the GDR in convenient lots, depending upon the local requirements. It will be open to the NMDC to import the rough diamonds either on their own against the rupee funds placed at their disposal, subject to import licences being issued by the CCI&E, for subsequent distribution/sale to exporters or on behalf of the exporters who are eligible for obtaining release of rough diamonds. In either case, these imports will be for replenishment and/or advance release. In the case of imports for supply to exporters who already hold import licences in the categories mentioned in para 3 below and who enter into agreement with the NMDC for the supply of rough diamonds to them, the licences will be suitably endorsed in favour of the NMDC to enable them to undertake imports there-against.

3. For the purpose of imports from the GDR, the following categories of licences will be eligible for endorsement in favour of the NMDC, *viz.*:—

(a) Valid import replenishment licences for import of rough diamonds against exports to rupee payment countries;

(b) Import replenishment licences and/or E. P. licences issued under the erstwhile E.P. Scheme on exports to Rupee Payment Countries which have expired on account of non-availability in the Rupee Payment Countries rough diamonds and which on application to the CCI&E have been revalidated for the purpose of import of rough diamonds from the GDR through the NMDC;

(c) Advance licences granted to Registered Exporters including advance licences granted to approved jewellers for sales to foreign tourists.

4. The NMDC may import rough diamonds and release supplies to the various categories of licence-holders mentioned in para 3 above, on surrender of their licences, and subject to the following conditions:—

(a) In the case of Registered Exporters having valid import licences for rough diamonds against exports to Rupee Payment Countries—upto the unutilised value of the licences;

(b) In the case of Registered Exporters having replenishment licences against exports to Rupee Payment countries, which have been revalidated with special permission for import of rough diamonds—upto the value of the revalidated licences;

(c) In the case of the Registered Exporters holding advance licences for import of rough diamonds from Rupee Payment countries—upto the value of their licences subject to their giving a Bond for fulfilment of export obligation by export of cut or polished diamonds to the extent of 142-6/7 per cent of the release value and on giving a Bank Guarantee for half the amount of the value of the release to be made by the NMDC valid initially for two years;

(d) In the case of those Registered Exporters who have been authorised by the Government to participate in overseas trade fairs/exhibitions on their giving a Bond for fulfilment of export obligation by export/sale against free foreign exchange of cut or polished diamonds to the extent of 142-6/7 per cent of the release value and on giving a Bank Guarantee for half the amount of the value of the release to be made by the NMDC valid initially for two years;

(e) In the case of approved jewellers under the Scheme of sales to Foreign Tourists, who have fulfilled the prescribed condition of minimum annual sale of Rs. 75,000/- the supplies will be restricted to the permissible percentage rate of replenishment.

5. Exports under the export obligation shall have to be made to General Currency Areas obtaining f.o.b. realisation of not less than $100 per carat net of all commission and other deductions.

6. In the case of licence holders who have endorsed their valid or revalidated replenishment licences in favour of NMDC for importing the rough diamonds, the supplies will be made to them without any requirement of further export obligations or bank guarantee. In the case of all others, the supplies will be subject to export obligation of 142-6/7 per cent of the release value to be fulfilled within six months of the release of the rough diamonds, supported by a bank guarantee and bond as indicated in paragraph 4 above. A letter of credit will not be insisted upon prior to the release of supplies in such cases.

7. The registered exporters desirous of availing themselves of the facilities under the Scheme will approach the concerned licensing authority for issue of a release order with a consent letter from the NMDC showing the quantity and value of rough diamonds agreed to be released by them. The licensing authority will issue a release order on the NMDC after making the necessary endorsement on the valid replenishment licence produced by the registered exporter. The NMDC will supply the quantity/value of the rough diamonds covered by the release order issued in favour of the registered exporters.

Applications for advance licences shall be made by the applicants in the proforma prescribed by the CCI&E in the ITC Hand Book of Rules and Procedure.

8. The NMDC shall fix the price of sale as may cover the reasonable incidentals incurred on import and sale activities.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय:—एन एम डी सी लिमिटेड द्वारा जर्मनी जनवादी गणराज्य से आयातित अपरिष्कृत हीरों की संभरण योजना ।

सं०98 आई टी सी एस(पी एन)/70.—तराशे अथवा चमकीले हीरों के निर्यात व्यापार के लिए अपरिष्कृत हीरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये यह निश्चय किया गया है कि जर्मनी जनवादी गणराज्य (जी० डी० आर०) तथा भारत के बीच हुए व्यापार समझौते के अनुसार अपरिष्कृत हीरों का आयात जर्मनी जनवादी गणराज्य से किया जाए ।

2. जी० डी० आर० से आयातित अपरिष्कृत हीरों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधा अनुसार लोक में संचालन करने के लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एन० एम० डी० सी०) को अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा लाइसेंस जारी होने की स्थिति में एन० एम० डी० सी० को यह अधिकार होगा कि वह तो वे अपने सुपुर्द किए गए रुपया खाते के बदले अपरिष्कृत हीरों का आयात निर्यातकों के लिये अनुवर्ती वितरण/विक्रय के लिए या उन निर्यातकों की ओर से करें जो अपरिष्कृत हीरों के बंटन प्राप्ति के लिए योग्य हैं। दोनों मामलों में ऐसे आयात आपूर्ति के लिये और/अथवा अग्रिम बंटन के लिए होंगे। नीचे पैरा 3 में बताई गई श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले निर्यातकों को आयात आवंटन के मामलों में, जो पहले से ही आयात लाइसेंस धारण किए हुए हैं और वे जो, अपरिष्कृत हीरों का उनको बंटन के लिए एन० एम० डी० सी० के साथ समझौता करते हैं, एन० एम० डी० सी० को लाइसेंसों का समुचितरूप से पृष्ठांकन किया जाएगा जिस से वे उसके लिये आयात की व्यवस्था करने में समर्थ हो सकें।

3. जी० डी० आर० से आयात के लिए निम्नलिखित श्रेणी के लाइसेंस एन० एम० डी० सी० के नाम में पृष्ठांकित करने योग्य होंगे :—

(क) रुपये में भुगतान देशों में निर्यात के बदले अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिए वैध आपूर्ति आयात लाइसेंस ;

(ख) पूर्वकालिक ई० पी० योजना के अन्तर्गत जो रुपया क्षेत्र से अपरिष्कृत हीरों के न मिलने की स्थिति में रुपये में भुगतान देशों के लिये निर्यात करने के लिये जिन की अवधि समाप्त हो गई है और जी० डी० आर० से एन० एम० डी० सी० के द्वारा अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिये सी. सी. आई. एन्ड ई. को आवेदन करने पर पुनर्वैध किए गए हैं उनको जारी किए गए आपूर्ति आयात लाइसेंस और/अथवा ई० पी० सी० लाइसेंस;

(ग) विदेशी पर्यटकों को विक्रय के लिये पंजीकृत निर्यातकों को दिए गए अग्रिम लाइसेंस, जिस में मान्यता प्राप्त जौहरियों को दिये गए अग्रिम लाइसेंस भी शामिल हैं।

4. पैरा 3 में उल्लिखत विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंसधारियों को उनके लाइसेंस त्यागने पर और निम्नलिखित शर्तों के अधीन एन० एम०डी० सी० अपरिष्कृत हीरों का आयात कर सकती है और अंटन कर सकती है :—

(क) उन पंजीकृत निर्यातकों के मामले में, जो रुपये में भुगतान देशों के निर्यात के विपरीत अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिये उपर्युक्त मूल्य तक के वैध लाइसेंस धारण किए हुए हैं;

(ख) उन पंजीकृत निर्यातकों के मामले में, जो रुपये में भुगतान देशों के निर्यात के बदले आपूर्ति लाइसेंस धारण किए हुए हैं, जिनका पुनर्वैध लाइसेंस के मूल्य तक अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिये विशेष आज्ञा से पुनर्वैध किया गया है ;

(ग) उन पंजीकृत निर्यातकों के मामले में, जिनके पास उनके लाइसेंस के मूल्य तक जो रुपये में भुगतान देशों से अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस हैं, जो बंटन मूल्य के 142-6/7 प्रतिशत की सीमा तक तराशे या चमकीले हीरों

के निर्यात द्वारा निर्यात आभार को पूरा करने के लिये उनको बॉंड देने और प्रारम्भिक दो वर्षों के लिये जो वैध धन-राशि है, उसके आधे के लिए बैंक गारंटी देने के अधीन है ;

(घ) उन पंजीकृत निर्यातकों के मामले में जो समुद्रपार व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिये प्राधिकृत है, बंटन मूल्य के 142·6/7 प्रतिशत की सीमा तक रफ़ो या चमकीले हीरों के निर्यात के स्वतंत्र विदेशी मुद्रा के लिये निर्यात/विक्रय द्वारा निर्यात आभार को पूरा करने के लिये एक बॉंड देने पर और प्रारम्भिक दो वर्षों के लिये वैध एन० एम० डी० सी० द्वारा किए गए बंटन के मूल्य की आधी धन राशि के लिए बैंक गारंटी देने पर ।

(ङ) विदेशी पर्यटकों को विक्रय की योजना के अन्तर्गत उन मान्यता प्राप्त जौहरियों के मामले में जिन्होंने कम से कम 75,000 रुपये निर्धारित वार्षिक विक्रय की शर्त को पूरा कर लिया है—आपूर्ति की स्वीकृत अनुपात दर के लिये संभरण को प्रतिबंधित किया जाएगा ।

5. निर्यात दायित्व के अन्तर्गत सभी प्रकार के कमीशन तथा कटौती के 100 डालर प्रति कैरेट वास्तविक से कम नहीं, पोतपर्यन्त निःशुल्क वसूली प्राप्त कर निर्यात सामान्य मुद्रा क्षेत्र को ही किया जाएगा ।

6. उन लाइसेंस धारियों के मामले जिन्होंने अपने वैध अथवा पुनर्वैध आपूर्ति लाइसेंस को अपरिष्कृत हीरों के, आयात के लिये एन० एम० डी० सी० के नाम पृष्ठांकित कर दिया है, उन्हें बिना किसी और निर्यात आभार अथवा बैंक गारंटी की अपेक्षा के ही संभरण किया जायेगा । और सभी दूसरे मामले में, बंटन मूल्य के 142–6/7 प्रतिशत के निर्यात आभार के अधीन संभरण किया जाएगा और अपरिष्कृत हीरों का बंटन छः मास के भीतर ही होना चाहिये और जैसाकि ऊपर पारा 4 में बताया गया है, इन के साथ बैंक गारंटी तथा बॉंड लगाया जाएगा । ऐसे मामले में संभरण के बंटन के पहले भाव-पत्र के लिये जोर नहीं दिया जाएगा ।

7. पंजीकृत निर्यातक जो इस योजना के अन्तर्गत सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये इच्छुक हैं, वे एन० एम० डी सी० से एक सहमति पत्र लेंगे जिसमें अपरिष्कृत हीरे की मात्रा और मूल्य दिखाया गया होगा और इसके लिये वे सहमत हो गए होंगे, बंटन आदेश जारी करने के लिये उनके साथ उन्हें संबंधित लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी से सम्पर्क स्थापित करना होगा । लाइसेंस प्राधिकारी पंजीकृत निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए वैध आपूर्ति लाइसेंस पर आवश्यक पृष्ठांकन करने के पश्चात् एन० एम० डी० सी० को एक बंटन आदेश जारी करेगा । पंजीकृत निर्यातकों को जारी किए गए बंटन आदेश के अन्तर्गत अपरिष्कृत हीरों की मात्रा मूल्य/का संभर एन० एम० डी० सी० करेगा ।

अग्रिम लाइसेंस के आवेदन के लिये आवेदक द्वारा मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात द्वारा आई० टी० सी० हैंड बुक आफ रूल्ज एण्ड प्रोसीजर में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाएगा ।

8. एन० एम० डी० सी० बिक्री की कीमत निर्धारित करेगा जिससे आयात और बिक्री के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में हुए उचित आकस्मिक खर्च को पूरा किया जा सके ।

आर० जे० रवैलो
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970